कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3533/रोड सेफ्टी/2018/103 दिनांकः— 13/1/2020

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा (समस्त)

विषय :— बाल वाहिनियों पर child help line number (1098) लिखवाने एंव विद्यालयों में सुझाव/शिकायत पेटी रखे जाने के संबंध में। ।

प्रसंग :— शासन का पत्र कमांक एफ 19 ()/बाल आयोग/शिक्षा—प्रकोष्ठ/19—20/12381—82 दिनांक 9.1.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक एंव संदर्भित पत्र के कम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय एंव गैर—राजकीय विद्यालयों में सुझाव/शिकायत पेटी तथा बाल वाहिनियों पर child help line number (1098) लिखवाना सुनिश्चित करें एंव की गई पालना से इस कार्यालय को एंव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी सूचित करावें। इसे अत्यन्त आवश्यक समझा जावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

13/1/2020
(मूलचन्द मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रा.शि. समस्त को भेजकर लेख है कि शासन के पत्र की तत्काल पालना करवाना सुनिश्चित करावें।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

PSP102
9/1/20

राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

2, जलपथ, गांधी नगर जयपुर ।
Tel./Fax.0141-2709319 Email – rscpcr@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 19 ( )/बाल आयोग/शिक्षा–प्रकोष्ठ/19–20/ 12381-82 दिनांक 09-01-2020

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर
JAN 2020
प्रां शि/निजी 10 15

विषयः–बाल वाहिनियों पर Child help line number (1098) लिखवाने एवं विद्यालयों में सुझाव/शिकायत पेटी रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.01.2020 में प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों में सुझाव/शिकायत पेटी रखे जाने एवं बाल वाहिनियों पर Child help line number (1098) लिखवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

उक्त क्रम में आपसे निवेदन है कि राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों को इस प्रस्ताव की पालना करने हेतु आदेशित करने का श्रम करावें तथा आपके स्तर पर की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का श्रम करावें।

उप सचिव
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राजस्थान, जयपुर